© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
https://www.eurekajournals.com/shodh.html
ISSN: 2581-3501

सीधी जिले के ग्रामीण विकास में पंचायतराज प्रणाली के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक आयामों का विश्लेषण

चंदन शुक्ला[1], डॉ. आर. बी. एस. चौहान[2]

[1]शोधार्थी अर्थशास्त्र विषय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

[2]प्राध्यापक अर्थशास्त्र, संजय गाँधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)

शोध सारांश

पंचायतीराज संस्थाएँ स्थानीय स्वशासन की जमीनी इकाइयाँ है। ग्रामीण भारत में इन इकाईयों को सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के वाहक के रूप में जाना जाता है। इन निकायों के प्रभावी एवं सार्थक कामकाज के क्रियान्वयन में क्षेत्र के सभी नागरिकों (पुरुष एवं महिला) के योगदान एवं सक्रिय भागीदारी पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में लोगों की भागीदारी को सूचीबद्ध करने के लिए देश में त्रि-स्तरीय पंचायतीराज प्रणाली की शुरुआत हुई। गाँधीजी का एक सपना था कि देश के सभी गांवों की ग्राम पंचायतें एक गणतंत्र के रूप में कार्य करें। जिसे वास्तव में त्रि-स्तरीय पंचायतीराज प्रणाली में तब्दील कर उनके सपने को सच किया गया है। 1957 में ग्राम स्तर पर स्वशासी संस्थाओं की सार्थकता के परीक्षण के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। पंचायतीराज के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 1958 में समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाया गया। इस तरह 1959 से लगभग सभी ग्रामीण विकास विभाग पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से अपने कार्यक्रम व योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत देश में ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक पहचान दी गई। इस अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण विकास में पंचायतराज संस्थाओं की स्पष्ट भूमिका की परिकल्पना साकार हुई। भारत सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकारें अब विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को पंचायतराज संस्थाओं के माध्यम से पूर्ण कर रही हैं। प्रस्तुत शोध आलेख का मुख्य उद्देश्य सीधी जिले के ग्रामीण

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

विकास में पंचायतराज प्रणाली की व्यवस्था के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक आयमों को विश्लेषित किया गया है।

मुख्यशब्द: पंचायती राज, प्रभावी, शासन, कार्यान्वयन, संस्थान, पुनर्निर्माण।

प्रस्तावना

भारतीय इतिहास में आर्यो के समय यहाँ के गांवों में पंचायत प्रमुख संस्थाएँ हुआ करती थी। भारतीय गांवों में पंचायतें अधिक शक्तिशाली एवं स्वतंत्रत कार्य पद्धति के रूप में जानी जाती थी और समाज में सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत होती थी। इस तरह पंचायतें भारतीय गांवों की रीढ़ मानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज संस्थाओं को पुनजीर्वित करने के लिए हर संभव प्रयास किये गये। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों को न केवल उनके विकास के लिए जोड़ा गया बल्कि उन्हें देश के विकास में भी संम्मिलित किया गया। इस संबंध में गांधी जी ने कहा था कि देश के वास्तविक विकास के लिए प्रत्येक गांवों को उन्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाया जाय बल्कि ग्राम पंचायतों को अपनी सभी जरूरतों के प्रबंधन में सक्षम होना चाहिए। ग्राम पंचायतों को न्याय की व्यवस्थाएँ भी सौपी जानी चाहिए। इस तरह गरीब ग्रामीणों को वे सभी सुविधाएँ उनके गांवों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से मुहैया करानी चाहिए। हॉलांकि, 1947 में यह व्यवहारिक नहीं था। देश में 1959 से सभी ग्रामीण विकास विभाग पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं। संविधान सभा ने गांधी जी के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली के तर्क को उपयुक्त समझा, जिसे राज्य नीति के सिद्धांन्तों के तहत पंचायती राज को संविधान में अहम दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान के अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांन्त में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए उचित कदम उठायेगा। उन्हें सभी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा। ये अधिकार ही उन्हें स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। इस नीति के नीति निर्देशक सिद्धांन्त को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संसद ने 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया। इस अधिनियम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज प्रणाली की स्थापना हुई।

पंचायती राज प्रणाली की संरचना

पंचायतें भारत की प्राचीन स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्थाएँ है। इनका वर्णन प्राचीन भारतीय गं्रन्थ ऋग्वेद में सभा और समितियों के रूप में मिलता है। पंचायत का शब्दिक अर्थ ग्रामीण समुदाय द्वारा चुने गये एवं स्वीकार्य किये गये पांच बुद्धिमान व सम्मानित बुजुर्गो की सभा है। पंचायत राज का

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

दर्शन ग्रामीण भारत की परम्परा एवं संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। यह किसी भी तरह से नई अवधारणा नहीं है। पंचायत राज ने ग्राम स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था प्रदान की है। पंचायत राज संस्थाएँ स्वशासन की आधारभूत इकाई है। इसे ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के वाहक के रूप में जाना जाता है। इन निकायों को प्रभावी और सार्थक कामकाज, सक्रिय भागीदारी तथा योगदान इत्यादि सभी कुछ ग्रामीण समुदाय के महिला एवं पुरूष की समान भागीदारी पर निर्भर करता है। ग्रामीण पुनर्निर्माण में लोगों की भागीदारी के लिए पंचायतराज संस्थओं को त्रि-स्तरीय प्रभावी ढ़ांचे में संगठित किया है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

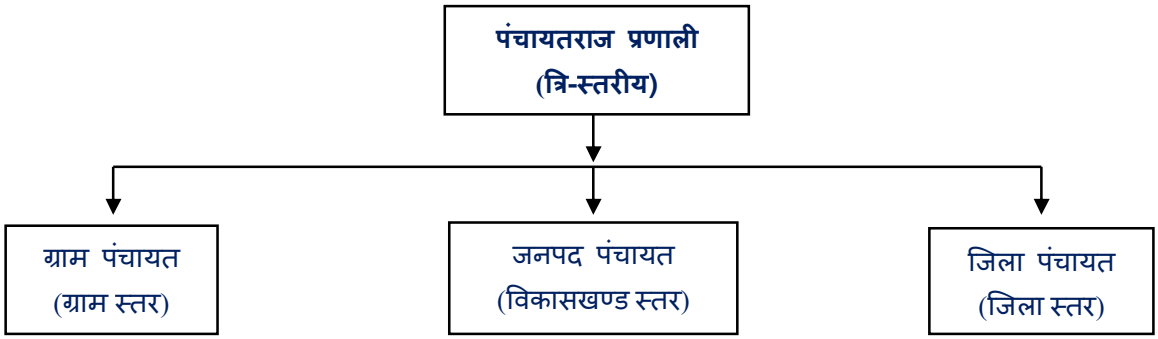

1. ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत पंचायत राज संस्थाओं अथवा स्थानीय स्वशासन की प्राथमिक इकाई है। इसे भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांन्त के तहत पहली औपचारिक लोकतांत्रिक संस्था होने का दर्जा दिया गया है। एक ग्राम पंचायत का आकार एक ऐसे गांव में होता है जिसकी आबादी 300 या उससे अधिक होती है। आबादी कम होने पर दो या दो से अधिक गांवों को एक साथ मिला कर ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। सरपंच/ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। शासन स्तर के कार्यो के संचालन हेतु ग्राम पंचायतों में सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत अपने कार्यो को करने के लिए विभिन्न प्रकार के 'करों' के माध्यम से राजस्व प्राप्त करती हैं। पेयजल की आपूर्ति, ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, ग्रामीण सड़क मार्गो में प्रकाश की व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, साफ-सफाई व स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि की गतिविधियों का विकास करना पंचायत के प्रमुख कार्य होते हैं।

2. जनपद पंचायत/तालुका पंचायत

प्रत्येक जिले के कुछ गांवों को मिला कर विकासखण्ड में बनाये गये हैं। पंचायतीराज व्यवस्था के तहत प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर एक जनपद पंचायत/तालुका पंचायत का गठन किया जाता है। पंचायत राज निकाय के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर प्रशासन का यह दूसरा स्तर है। इसकी अध्यक्षता जनपद

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

पंचायत/तालुका पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जनपद पंचायत में विकासखण्ड अधिकारी/खण्ड अधिकारी पदेन कार्यपालक अधिकारी के रूप में प्रशासनिक कार्यो की देख-रेख करते हैं।

3. जिला पंचायत

जिला पंचायत को जिला विकास परिषद् अथवा जिला परिषद् के नाम से भी जाना जाता है। यह जिला स्तर पर कार्यरत पंचायत राज का तीसरा स्तर है। इसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अथवा पंचायत संघ के अध्यक्ष करते हैं। जिला पंचायत के कार्यपालक अधिकार अपने अधिनस्त अधिकारियों की मदद से विकास कार्यो की देख-रेख करते हैं। अर्थात जिला कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की देख-रेख की जाती है।

पंचायतराज निकाय द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, संचार, कृषि विस्तार, सहयोग, स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करने जैसे अनेक कार्यो को पूर्ण किये जाते हैं। जिले के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों के पीने के लिए पानी की आपूर्ति, गांव की गलियों का निर्माण, प्रकाश के लिए बिजली की व्यवस्था एवं गांवों की स्वच्छता तथा शौचालय आदि के निर्माण में आवश्यक संसाधनों की पूर्ति भी करती हैं। पंचायतराज निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों को उनेक अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का भी कार्य करती हैं। जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार परिलक्षित हो सके। पंचायतीराज प्रणाली के त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ और अधिकार दिये गये हैं। ये संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिये 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार कर क्रियान्वयन करने का कार्य पंचायतीराज प्रणाली द्वारा किये जाते हैं।

ग्रामीण विकास: वैचारिक मुद्दे

ग्रामीण विकास मूलरूप से ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को दर्शाता है। ग्रामीण विकास एक व्यापक और बहु-आयामी अवधारणा है। इसमें कृषि और संबंद्ध गतिविधियाँ जैसे ग्रामीण शिल्प व कुटीर उद्योग, सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे, सामुदायिक सेवाओं एवं सुविधाओं के विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास इत्यादि सम्मिलित है। वास्तव में, ग्रामीण विकास एक प्रघटना है। यह विभिन्न भौतिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं संस्थागत कारकों के बीच सामाजस्यता का परिणाम है।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

ग्रामीण विकास एक रणनीति है, जिसे लोगों के लिए विशिष्ट समूह अर्थात ग्रामीण गरीबों की आर्थिक एवं सामाजिक भलाई में सुधार के लिए बनाया गया है। ग्रामीण विकास की प्रकृति बहु-विषयक है। यह कृषि-सामाजिक व्यवहार, ग्रामीण अभियांत्रिकी, प्रबंधन, विज्ञान के रूप में स्थानीय विकास के आयामों को निरूपित करता है। देश की भौगोलिक स्थिति, संस्कृतिक एवं विकास के ऐतिहासिक चरणों में अन्तर होने के बावजूद ग्रामीण विकास के लिए जीवन की बुनियादी आवश्यकता, आत्मसंम्मान तथा स्वतंत्रता आदि ये तीन बुनियादी तत्व है। ये बुनियादी तत्व ग्रामीण विकास के लिए आधार माने जाते हैं। लोगों के जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं में भोजन, कपड़े, आश्रय, साक्षरता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा जीवन व संम्पत्ति की सुरक्षा जैसे कई मुद्दे ग्रामीण विकास के प्रमुख आयामों से संबंधित है। सभी के लिए जीवन की इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक शर्ते हैं जो ग्रामीण विकास का हिस्सा है। व्यक्ति के स्वाभिमान, गरिमा एवं संम्मान आदि को ध्यान में रखकर इसे ग्रामीण विकास कार्योक्रमों का एक प्रमुख हिस्सा बनाया गया है।

ग्रामीण विकास की आवश्यकता

भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता व विविधता से जुड़ी हुईहै। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी अर्थव्यवस्था के बहुतअधिक अनुपात में परिलक्षित होती है। जैसा कि 1901 में यह 89 प्रतिशत, 1951 में 83 प्रतिशत, 1971 में 80 प्रतिशत थी। जबकि 1991 में 74 प्रतिशत, 2001 में 72 प्रतिशत तथा 2011 में 70 प्रतिशत है। अर्थात यहाँ की 740 लाख से अधिक की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रामीण क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत योगदान है। यहाँ के सामाजिक-आर्थिक विकास की कोई भी रणनीति तब तक सफल नहीं होती, जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की उपेक्षा की जाती रहेगी। इसलिए भारत में ग्रामीण विकास अति आवश्यक है। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कई तरह से पहल करके विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने का कार्य किया है। इसीलिए देश में ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है। यह मंत्रालय दो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात एसिया एवं प्रशान्त के एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र (आई.आर.डी.ए.पी.) एवं एफ्रो-एसियाई ग्रामीण विकास संगठन (ए.ए.आर.डी.ओ.) के लिए एक नोडल विभाग भी है। पंचायतराज निकाय के समस्त कार्यो के वैधानिक संचालन हेतु मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में पंचायतराज संचालनालय स्थापित है। इस संचालनालय द्वारा संम्पूर्ण प्रदेश में ग्रामीण विकास के कार्यो हेतु बजट आवंटित किये जाते हैं। सीधी जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम व योजनाओं के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला पंचायत की स्थापना की गई है। यहीं से ग्रामीण अंचलों के विकास कार्यो की मानिटरिंग की जाती है।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास

पंचायत राज संस्थाएँ देश की विकास प्रक्रिया में भारतीय लोगों की भागीदारी की आकांक्षाओं को सामाजिक न्याय के साथ विकास के सबसे पोषित लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद, देश के ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाओं की स्पष्ट भूमिका की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में पंचायतराज संस्थाओं के योगदान को रेखांकित किया है। इनमें से भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न तरह के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पंचायतराज संस्थाओं की सार्थक भागीदारी की मांग को बढ़ाया है। इन कार्यक्रमों को लागू करने में देश की ग्यारहवीं अनुसूची और पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में इनके लिए एक विशिष्ट भूमिका तैयार की गई है। पंचायतराज संस्थाओं के माध्यम से कई तरह के कार्यक्रम व योजनाएँ कार्यान्वित की जाती है।

पंचायतीराज संस्थाएँ ग्राम स्तर पर नियोजन एवं क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास में सम्मिलित होती हैं। पंचायत प्रणाली में ग्राम सभा एक अभिन्न अंग है। ग्राम सभा में विकेंद्रीकृत योजना के लिए इसमें सभी लोगों को शामिल करने का अधिकार प्रदान करती है। भले ही इन योजनाओं के लिए धन और स्वीकृति शक्ति व विशेषता अलग-अलग स्तर पर हो, लेकिन जब कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रश्न आता है, तो इसमें शामिल होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहता है। ग्राम स्तर पर ये पंचायत राज संस्थाएँ स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। ग्राम स्तर पर आबादी की जरूरतों की पूर्ति हेतु स्थानीय प्रशासन अर्थात पंचायत निकाय के ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। 73वें संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इस तरह की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। स्थानीय सरकार का सबसे निचला स्तर अर्थात् ग्राम पंचायत सीधे नागरिक के संपर्क में होता है और इसे ग्राम सभा और अन्य माध्यमों से कार्यो को क्रियान्वित किया जाता है। यह नागरिकों के साधारण कार्यों से लेकर जटिल विकास योजनाओं तक कई कार्यों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इन कार्यों को तभी निष्पादित किया जा सकता है जब उस ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन विकसित हों।

सशक्त व अधिकार संम्पन्नता

पंचायतराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के मुद्दों में (1) वित्त/निधियाँ, (2) कार्य एवं (3) पदाधिकारियों का हस्तांतरण इत्यादि शामिल है। ये मुद्दे केंद्र और राज्यों के बीच चर्चा के एक केंद्रीय बिंदु होते हैं। योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों में राज्य सरकारों को बार-बार प्रभावित किया है। भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

संबंध में इनके संसाधनों को पंचायतों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। ये विषय हैं- कृषि व कृषि-विस्तार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन व वाटरशेड विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज, भूमि सुधार कार्यक्रम, चकबंदी व मृदा संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण सहित लघु उद्योग, खादी, ग्राम व कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन व चारा, सड़कें, पुल-पुलिया, घाट, जलमार्ग, परिवहन व संचार के अन्य साधन, बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क व अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, बाजार और मेले, अस्पतालों सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व औषधालय, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण के साथ विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों का कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव। उक्त वर्णित 29 विषय भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इस तरह ग्रामीण जीवन के सभी प्रमुख आयामों को इसमें संम्मिलित किया गया है। हालाँकि, 73वें संविधान संशोधन के बावजूद अधिकांश राज्यों ने पंचायत को बहु तकम शक्ति और वित्तीय संसाधन हस्तांतरित किये हैं।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पंचायतराज निकाय द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ, जिनका विवरण संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, का क्रियान्वयन किया जाता है। कुछ प्रमुख कार्यक्रम व योजनाओं के क्रियान्वयन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

(1) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

इस योजना द्वारा 1999 में एकल स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की परिकल्पना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और संबद्ध कार्यक्रमों ट्राइसेम, डवाकरा, सित्रा और गंगा कल्याण योजना की पिछली योजनाओं की कमजोरियों को दूर कर नये स्वरूप में तैयार किया गया है। इस योजना के तहत उद्यमी को अपना उद्यम लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी केंद्र और राज्यों के द्वारा लागत के अनुसार 75 अनुपाते 25 के आधार पर वित्तपोषित किया जाता है। इस योजना को पंचायत समितियों के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों जैसे डीआरडीए बैंकों, पंचायतराज संस्थानों, एनजीओ आदि के द्वारा भी मुहैया कराया जाता है।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

(2) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)

यह कार्यक्रम 25 सितंबर 2001 को चल रही योजनाएँ- रोजगार आश्वासन योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रख कर ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ समुदाय, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ता प्रदान करना रहा है।

(3) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

यह कार्यक्रम 1985-86 में नौवीं योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 'सभी के लिए आवास' प्रदान करना रहा है। प्रारंभ में इस योजना के तहत 20 लाख अतिरिक्त आवास इकाइयों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। जिनमें से 13 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने में पंचायतीराज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूची में वरिष्ठता के क्रम में बीपीएल सूचियों के आधार पर वास्तविक लाभार्थियों का चयन किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन अंतिम आधार हैं।

(4) अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)

यह योजना 2000 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में पहली बार एक करोड़ गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा देने की पहल की गई थी। योजना में बीपीएल परिवारों को अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की परिकल्पना को साकार किया जाता है। योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूं एवं 3 रूपये प्रति किलोग्राम चावल मुहैया कराया जाता है। इस योजना का विस्तार 2003-04 में किया गया। जिसमें 50 लाख बीपीएल परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया है। अब तक 2.5 करोड़ परिवारों को इस योजना के द्वारा लाभान्वित किया गया है।

(5) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

यह योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी जो शत-प्रतिशत केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य 500 से अधिक व्यक्तियों की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी असंबद्ध बस्तियों को सड़क मार्ग की सुविधा प्रदान करना रहा है। भारत निर्माण के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1000 से अधिक आबादी वाले सभी रहवासियों को सड़क संम्पर्क मार्ग की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

(6) निर्मल ग्राम योजना (एनजीवाई)

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के रूप में इस योजना का निर्माण किया था। इस योजना द्वारा स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए 2 अक्टूबर 1995 को निर्मल ग्राम योजना के नाम से एक व्यापक अभियान शुरू किया। सरकार पंचायतराज संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से इस योजना को क्रियान्वित करती है।

(7) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एमएसएपी)

केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये गये इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों को वृद्धावस्था एवं मातृत्व के मामले में सामाजिक सहायता के माध्यम से लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तीन घटक है। इन घटकों के अन्तर्गत (1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस), (2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (बीएफबीएस) एवं (3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस) आदि प्रमुख है।

(8) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

यह योजना पंचायतों और गरीबों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद कार्य, संबंध परामर्श और संसाधनों के बंटवारे के लिए औपचारिक तंत्र के निर्माण से संबंधित है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को संसाधन संबंद्ध कर उनके हित लाभ को जोड़ा गया है।

(9) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

यह कार्यक्रम 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। इसमें ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को सुरक्षित करने की परिकल्पना की गई है। वास्तव में, मनरेगा योजना मौजूदा रोजगार कार्यक्रमों में से एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है क्योंकि यह एक अधिनियम है न कि केवल एक योजना। यह कार्य करने के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है। मनरेगा संविधान के 73वें संशोधन के उद्देश्यों को साकार करने के लिए एक शक्तिशाली, कानूनी अधिकार और अवसर प्रदान करता है। औपचारिक रूप से इस अधिनियम के तहत बनाई गई योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए तीन स्तरों पर पंचायतों को प्रमुख प्राधिकरण बनाया गया है। यह अधिनियम पर्याप्त गारंटीकृत संसाधनों द्वारा समर्थित है। मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम सभा, मध्यवर्ती पंचायत (जनपद) एवं जिला पंचायत की निश्चित भूमिका होती है। ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा के अपेक्षित परिणामों को साकार करने के लिए मनरेगा की प्रमुख भूमिका है।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

(10) स्वच्छत भारत अभियान (एस.बी.एम.)

2 अक्टूबर, 2014 को संम्पूर्ण देश में स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना रहा है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थाई स्वच्छता को बढ़ावा देकर, समुदाय के विकास हेतु प्रेरित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इस योजना द्वारा पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित एवं स्थाई स्वच्छता के लिए लागत-प्रभावी संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ बनाना है।

पंचायतराज प्रणाली में बाधाओं के क्षेत्र

ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पंचायतराज संस्थाओं की प्रभावी भागीदारी में इन संस्थाओं के सामने कुछ कठिनाइयाँ हैं, जिससे इनके सामने कई तरह की बाधाएँ आती हैं। ये समस्याएँ मुख्य रूप से वित्त, प्रबंधन और संगठन से संबंधित हैं। पंचायतीराज संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तब कठिनाईयाँ निर्मित होती हैं। हॉलांकि, राज्यों की इन पर बहुत अधिक जिम्मेदारी है। पंचायत राज संस्थाओं को संचालित करने वाले कानूनों और नियमों को समझने की कमी एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से कानून को समझना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों को नियंत्रित करना भी एक समस्या बनी हुईहै। वे अक्सर निर्वाचित निकायों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित योजनाओं को विफल करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं की संरचना का उपयोग करने पारदर्शिता का पालन नहीं करते हैं। ऐसी समस्या का समाधान करने का एक तरीका यह है कि पंचायत और संबंधित नोडल विभाग के अधिकारियों को निर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं के समाधान के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा कम से कम कुछ प्रशिक्षकों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए पंचायतराज संस्थाओं के कामकाज में उनकी प्रभावशीलता की एक अन्य समस्या स्थानीय शासन में सदस्य विशेषकर महिला सदस्यों की प्रभावी भागीदारी की कमी से संबंधित है। शिक्षा की कमी व साक्षरता के स्तर के कारण कानूनों को समझे बिना और समय-समय पर नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव के कारण भी कई समस्या उत्पन्न होती हैं। पंचायतराज संस्थाएँ ग्रामीण विकास को गति देने में अपनी भूमिका में तभी प्रभावी हो सकती हैं जब वे शासन के एक ठोस और वैज्ञानिक ढांचे द्वारा शासित हो। स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों आत्मविश्वास की कमी के कारण ये स्वयं आत्मसम्मान के निम्न स्तर से पीड़ित हैं। प्रायः यह देखा गया है कि वर्तमान चुनावी प्रणाली ने अज्ञानी और निरक्षरों

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

को व्यवस्था में ला दिया है। पंचायतराज संस्थाओं के मामलों में सरकार और राजनेताओं के अत्यधिक हस्तक्षेप की घटनाएँ भी आये दिन आती रहती हैं।

निष्कर्ष व सुझाव

पंचायत निकाय भारत की प्राचीन स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्थाएँ हैं। पंचायतों का वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथ 'ऋग्वेद' में 'सभा' और 'समितियों' के रूप में मिलता है। पंचायत का शाब्दिक अर्थ है ग्राम समुदाय द्वारा चुने और स्वीकार किए गए पांच (पंच) बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्गों की सभा। पंचायतराज का दर्शन ग्रामीण भारत की परंपरा और संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। पंचायतराज ने ग्राम स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था प्रदान की है। पंचायतराज संस्थाएँ स्वशासन की आधारभूत इकाई है। इसे ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के वाहक के रूप में जाना जाता है। इन निकायों का प्रभावी और सार्थक कामकाज, सक्रिय भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों (पुरुष व महिला) की भागीदारी पर निर्भर है। ग्रामीण विकास में ऐसे संस्थानों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत में ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में समग्र प्रगति है। यह एक उद्देश्य नहीं बल्कि अपने आप में एक सतत प्रक्रिया है। परिणामतः यह प्रक्रिया एक ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान करती है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों व योजनाओं द्वारा सीधी जिले के ग्रामीण लोगों के जन-जीवन में सामाजिक-आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पंचायतों को स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को विकास की गतिविधियों में सीधे भागीदारी करने की अनुमति देना चाहिए। इसके लिए गरीब ग्रामीण लोगों की सहायता करनी चाहिए। ग्राम सभा में खुली परिचर्चा का आयोजन कर जरूरत मंद लोगों को योजनाओं के द्वारा हित लाभ देना चाहिए। सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक दक्षता से मुक्ति हेतु स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्योंकि किसी भी रूप में सामाजिक दासता विकास की स्थिति को अवरूद्ध करती है। ग्रामीण विकास में स्वतंत्रता की विशेषताएँ नीहित होनी चाहिए।

अभिस्वीकृति

प्रस्तुत शोध आलेख को पूर्ण करने में सीधी जिले के पंचायतीराज निकायों के प्रति आभारी हूँ। शोध आलेख में तकनीकी कार्य के कई चरणों में सीधी जिले के विकासखण्ड स्थित जनपद कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

संदर्भ स्रोत

बख्शी, पी. एम. (2000), भारत का संविधान, यूनिवर्सल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

भारत सरकार (1978), पंचायत राज संस्थाओं पर समिति की रिपोर्ट, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, नई दिल्ली।

भारत में पंचायती राज संस्थान- एक मूल्यांकन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, अगस्त 1995, पृ. 5.

दयाल, आर. (1970) भारत में पंचायत राज, मेट्रोपॉलिटन बुक कंपनी, नई दिल्ली।

गुप्ता, सुगथ दास (1969), पंचायत की अवधारणा और उनके संस्थागत निहितार्थ, एशिया पब्लिंग हाउस, बॉम्बे।

जैन, एम. सी. कागजी (1987), भारत का संविधान, मेट्रोपॉलिटन बुक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

झा, मिथिलेश कुमार (2012), सूक्ष्म वित्त एवं ग्रामीण विकास, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली।

झा, रजनी रंजन (1998), पंचायती राज व ग्रामीण विकास: महत्वपूर्ण मुद्दे, जे. एल. सिंह एवं जी.पी. पांडे (सं.), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के 50 वर्ष, मानक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 60-61.

मेहता, जी. एस. (2002), पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

माथुर, पी. सी., भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन: रिपन से लेकर जयप्रकाश नारायण तक वैचारिक बारीकियाँ-1882-1964, 'ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन के नवीकरण के समसामयिक शोध पत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विभाग ग्रामीण विकास, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1994.

मुखर्जी, नीला, संसाधन स्थिरता: विकासात्मक लक्ष्य एवं पंचायती राज संस्थान, कुरुक्षेत्र, अप्रैल, 1996, 52 (7): 25-27.

पद्माकर, पी.एल.डी.वी., पंचायत राज एक नजर पीछे, कुरुक्षेत्र, फरवरी, 1998, 52 (3): 22-26.

पारेक, उदय (1989), प्रभावी शासन के लिए विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक परिवर्तन केंद्र, जयपुर।

प्रसाद, आर. सी. (1968), लोकतंत्र और विकास, रचना प्रकाशन नई दिल्ली।

© Eureka Journals 2023. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

सिन्हा, सुबोधकुमार एवं राजेश कुमार (2007), जमीनी लोकतंत्र उपं शासन, 90वाँ सम्मेलन, भारतीय आर्थिक संघ, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर।

सिंह, रणबीर, पंचायती राज संस्थाओं को अब तक सशक्त क्यों नहीं बनाया गया, कुरुक्षेत्र, जनवरी, 2004, 52 (3): 42-43.

शिवैया एवं अन्य (1976), पंचायतराज: एक विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण, एनआईसीडी हैदराबाद।

सिरसीकर, वी. एम. (1974), ग्रामीण महाराष्ट्र में नेतृत्व प्रतिरूप, लोकप्रिय प्रकाशन बॉम्बे।

विजयकुमार, ए. भारत में पंचायत प्रणाली: ऐतिहासिक, संवैधानिक और वित्तीय विश्लेषण, घोष आर. एवं परमानिक, ए. के. द्वारा संपादित, नई दिल्ली।